प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 16.06.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको तथा बुडको के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि AMRUT योजनांतर्गत आच्छादित मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन विभाग में भेज दिया गया है एवं दरभंगा ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन आज ही विभाग में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

   कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि फुलवारी शरीफ स्ट्रॉर्म ड्रेनेज योजना (खोजा ईमली से नहर पर लख तक) का प्राक्कलन विभाग में समर्पित कर दी गयी है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दरभंगा ड्रेनेज योजना में नाले के cover का भी प्राक्कलन है। निर्देश दिया गया कि चूँकि नाले के cover की राशि काफी अधिक है, अतः इस योजना में नाले के cover को प्राक्कलन से हटाया जाय।

3. जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा जानकारी दी गयी थी कि सासाराम में बुडको द्वारा कार्यान्वित ड्रेनेज योजना में शेरशाह के मकबरा के निकट से नाला प्रावधानित है एवं उसी स्थान पर जल संसाधन विभाग द्वारा भी ड्रेनेज की योजना स्वीकृत की गयी है।

   कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि स्थल निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि योजना के कार्यान्वयन में duplication नहीं हो।

4. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया कि AMRUT योजनांतर्गत आच्छादित बेऊर से मीठापुर तक ड्रेनेज योजना का Final DPR दिनांक 20.06.2017 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।

   निर्देश दिया गया कि उक्त तिथि तक डी०पी०आर० अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि SLTC एवं SHPSC से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

5. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि गोसाईं टोला सम्प हाऊस में पम्प, चैनल एवं sluice gate की मरम्मती अतिशीघ्र करा ली जाय।

   मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र नगर, रोड नं०-2, सैदपुर नाला के निकट स्टॉर्म ड्रेनेज, जो प्रेमचंद रंगशाला से होते हुए एन०सी०सी० के निकट से जाएगी, इसकी योजना स्वीकृत हो गयी है एवं शीघ्र ही निविदा की कार्रवाई की जाएगी।

6. कई स्थानों पर देखा जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने के क्रम में रोड के किनारे अवस्थित नाले की चौड़ाई को संकीर्ण कर दिया जा रहा है, जिसके कारण नाले का बहाव अवरूद्ध होने की संभावना है।

इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय कि सड़क के निर्माण के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि कहीं भी नाले की चौड़ाई संकीर्ण नहीं हो। यह भी अवगत कराया जाय कि इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ है कि कहीं भी रोड/पुल का निर्माण करने से पूर्व स्थानीय नगर निकाय से एन०ओ०सी० प्राप्त करना आवश्यक होगा। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

7. बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि नाला का निर्माण पक्का किया जाय। किसी भी स्थान पर नाला का निर्माण कच्चा नहीं होना है तथा नाला का निर्माण outfall से हो एवं उचित level तथा content के अनुरूप हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।

8. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित 08 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है तथा इस वर्ष (2017–18) अभी तक 38.00 करोड़ रूपये का व्यय हो गया है तथा राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत 32 योजनाओं में 01 लाख पेयजल कनेक्शन किये जाने हैं, जिसमें से 30 हजार कनेक्शन अभी तक हो गये हैं। निर्देश दिया गया कि AMRUT योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजा जाय।

इनके द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत 08 योजनाओं में से मात्र हाजीपुर में जमीन का NOC अभी नहीं मिल पाया है, जिसका NOC शीघ्र मिल जाएगी तथा राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत सभी 32 योजनाओं में जमीन का NOC प्राप्त हो गया है।

राज्य योजनांतर्गत सभी 32 योजनाओं के कार्य पूर्णता की अवधि 30 जून तक निर्धारित है, लेकिन अभी तक काफी कार्य बचे हुए हैं। निर्देश दिया गया कि माह जुलाई के अंत तक सभी योजनाओं में कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंताओं द्वारा इस माह में पेयजल कनेक्शन हेतु कराये गये कार्य का प्रतिवेदन प्रमंडलवार आज ही विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. पिछली बैठक के क्रम में श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया था कि फुलवारी शरीफ नगर निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का 02 जोन का सर्वे रिपोर्ट फुलवारी शरीफ नगर परिषद को उपलब्ध करा दिया गया है। तदोपरांत इन्हें निर्देश दिया गया था कि सर्वे रिपोर्ट road wise, रोड नं० एवं लाभार्थी के नाम के साथ लगाये गये कनेक्शन की पूर्ण सूची फुलवारी शरीफ नगर निकाय को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इनके द्वारा अभी तक यह प्रतिवेदन नगर निकाय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण नगर निकाय द्वारा सत्यापन आदि कार्य नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में कड़ी चिंता व्यक्त की गयी। प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में संबंधित परियोजना निदेशक से बैठक में गलत प्रतिवेदित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे।

10. बोधगया में बुडको द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक नागरिकों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पायी है, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती रहती है।

इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि अभी HT विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाने के कारण जलापूर्ति चालू नहीं हो पायी है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विद्युत कनेक्शन लेकर जलापूर्ति चालू कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें।

11. कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि झंझारपुर एवं नौबतपुर में जलापूर्ति योजना कार्य के अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन आज ही विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यदि बुडको द्वारा उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समयसीमा के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो दंड स्वरूप योजना की राशि में कटौती की जाएगी।

12. ए०डी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना में टॉवर निर्माण के डी०पी०आर० में technical change किया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, ए०डी०बी० को पूर्व में दोनों का cost का analysis करके प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य अभियंता, ए०डी०बी० द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर cost analysis करके प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

यह भी निर्देश दिया गया कि भागलपुर में कार्यान्वित जलापूर्ति योजना का माह में कम से कम 02 बार अनिवार्य रूप से मुख्य अभियंता द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करके कार्य की प्रगति का अनुश्रवण किया जाय और नियमित रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

13. पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया था तथा विभाग द्वारा भी पत्र के माध्यम से बिहार राज्य जल पर्षद को सूचित किया गया था कि पटना साहिब क्षेत्रांतर्गत चौक शिकारपुर से न्यू बाईपास के बीच बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराए गये नाला निर्माण में लगभग 300 मीटर में missing gap के संबंध में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करायी जाय, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि छूटे हुए नाले के missing gap का निर्माण कार्य अतिशीघ्र नहीं कराये जाने की स्थिति में संबंधित अभियंताओं पर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

14. आरा शहर में ड्रेनेज की समस्या के संबंध में श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता एवं श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आरा शहर का स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसका प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि 02 दिनों के अंदर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

15. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का संवेदक एजेंसियों के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित करके अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे एवं बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराएंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/6/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4138 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 19.6.17

प्रतिलिपि :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव / अपर सचिव / श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बुडा, पटना / श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता / श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/2017

प्रधान सचिव